

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक:- 146/2016 नि०फौ०

सन्तोष जाटव पुत्र लालसिंह जाटव आयु 23
साल व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम बगथरा
परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

-----निगरानीकर्ता

बनाम

शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड
म०प्र०

-----प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानीकर्ता द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।
गैरनिगरानीकर्ता राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए.जी.पी

//आ दे श//
//आज दिनांक 22-12-16 को पारित किया गया//

01. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 397 जा.फौ.का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें कि निगरानीकर्ता के द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय के प्र०कं० 700513/16 इ०फौ० में पारित आदेश दिनांक 16.06.2016 से व्यथित होकर पेश की गई है। जिसमें कि निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 437(6) जा.फौ. में दी गयी जमानत में 30 हजार रुपये की सक्षम जमानत, जमानतदार के सक्षमता के प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया गया है।

02. वर्तमान निगरानी के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि निगरानीकर्ता एवं अन्य घनश्याम के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में एक झूठा अपराध क्र० 150/16 अंतर्गत धारा 379 भा०द०सं० के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें निगरानीकर्ता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 437(6) जा.फौ. का आवेदन पेश किया था जिसमें निगरानीकर्ता के द्वारा व्यक्त किया

था कि वह दिनांक 4-7-16 को गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण की विवेचना पूर्ण हो चुकी है एवं चालान पेश किया जा चुका है और निगरानीकर्ता को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया था । जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के आवेदनपत्र को दिनांक 24-11-16 को स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया कि आरोपी/निगरानीकर्ता की ओर से 30000/-रुपये की सक्षम जमानत, जमानतदार के सक्षमता प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत करें एवं 30 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश करे और पेशियों के दौरान न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा प्रकरण के विचारण में विलम्ब कारित नहीं करेगा एवं साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो 30000/-रुपये के जमानतदार सक्षमता प्रमाणपत्र वाबत् आदेश पारित किया है उससे दुखित होकर यह निगरानी पेश की है।

03. निगरानीकर्ता के द्वारा वर्तमान निगरानी मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई दस्तावेजी साक्ष्य पर सही विवेचन न कर आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में जो निगरानीकर्ता की ओर से आवेदनपत्र पेश किया गया है वह आज्ञात्मक प्रकृति का है और उसके अंतर्गत निगरानीकर्ता को अधिकारिता रहती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक विशेष शर्त लगाकर निगरानीकर्ता के जमानत प्राप्त करने के अधिकार का हनन किया है और आदेश पारित करने में गम्भीर भूल की है । निगरानीकर्ता मजदूर पेशा व्यक्ति है और उसके पास सक्षमता प्रमाणपत्र न होने से उसे जमानत का लाभ नहीं मिल पा रहा है । सह आरोपी घनश्याम की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से स्वीकार हो चुकी है उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय ने 50-50 हजार रुपये की दो सक्षम जमानत का आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में भूल की है । ऐसी दशा में निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24-11-16 को जमानतदार के सक्षमता प्रमाणपत्र के संबंध दिया गया आदेश निरस्त किया जाकर निगरानीकर्ता को जमानतदार पेश करने का आदेश देने का निवेदन किया है ।

04. प्रतिनिगरानीकर्ता ने विचारण न्यायालय के आदेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कारण न होना बताते हुए निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया है।

05. उपरोक्त निगरानी के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह हो जाता है कि—
क्या विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 24.11.2016 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

// निष्कर्ष के आधार //

06. पुनरीक्षणकर्ता अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि विचारण न्यायालय

के द्वारा जमानतदार की सक्षमता प्रमाणपत्र सहित 30000/-रुपये की जमानत पेश करने का आदेश दिया गया है, जबकि प्रकरण में अन्य सह आरोपी की जमानत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार की गयी है कोई सोलवंशी नहीं मांगी गयी है । आवेदक जो कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार जमानत की पात्रता रखता है इस प्रकार की शर्त अधिरोपित की गयी है कि वह प्रावधान का लाभ न उठा सके । इस परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेश को जो कि सक्षमता प्रमाणपत्र के संबंध में दिया गया है निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

07. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के द्वारा वर्तमान आवेदक/आरोपी धारा 437(6)जा0फौ0 के आलोक में उसकी जमानत स्वीकार की गयी है जिसमें कि विचारण न्यायालय के द्वारा तीस हजार रुपये की सक्षम जमानत जमानतदार की सक्षमता प्रमाणपत्र की वांछा की गयी है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अन्य सह आरोपी की जमानत वर्तमान प्रकरण में स्वीकार की गयी है जिसमें कहीं भी सक्षमता प्रमाणपत्र वाली जमानत वाबत् कोई आदेश नहीं किया गया है । निश्चित तौर से आवेदक जो कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार जमानत की पात्रता होने से जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया गया है, उसके संबंध में सक्षमता प्रमाणपत्र हेतु आदेशित किये जाने का आदेश उसके जमानत पर छूटने के अधिकार को प्रभावित करेगा । इस परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी के द्वारा तीस हजार रुपये की जमानत जो जमानतदार की सक्षमता का प्रमाणपत्र सहित पेश किये जाने का आदेश दिया गया है वह आदेश उचित होना नहीं कहा जा सकता । उक्त आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

08. तदनुसार विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 24-11-16 जिसमें कि आरोपी से तीस हजार रुपये की जमानतदार की सक्षमता प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था उसे परिवर्तित करते हुये यह आदेशित किया जाता है आरोपी से तीस हजार रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है ।

09. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड